

प्रेसनोट

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय जयपुर

एसीबी ने स्टेनो को 6 हजार 500 रुपये की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

जयपुर, 29 मई 2019। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) विशेष अनुसंधान ईकाई ने बुधवार को कार्रवाई करते हुये कार्यालय प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड जयपुर स्टेनो-द्वितीय विनय सिंघल को 6 हजार 500 रुपये की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अतिरिक्त महानिदेशक श्री सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी सीताराम मीना ने एसीबी में शिकायत दी कि उसके भान्जे विजय उर्फ गोलू के विरुद्ध पुलिस थाना बस्सी में दर्ज प्रकरण संख्या 430/18 पोक्सो एक्ट व 120बी भादस में किशोर न्याय बोर्ड से नाबलिक विजय उर्फ गोलू की जमानत करवाने एवं मुकदमें से संबंधित सम्पूर्ण कार्य करवाने के एवज में उससे 8 हजार रुपये की रिश्वत की राशि की माग कर रहा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपअधीक्षक पुलिस विषेष अनुसंधान ईकाई श्री सचिन शर्मा के नेतृत्व में उक्त माँग का सत्यापन करवाया गया सत्यापन के दौरान स्टेनो विनय सिंघल ने 1500 सो रुपए की रिश्वत की राशि प्राप्त की एवं आज ट्रैप कार्रवाई के दौरान 6 हजार 500 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम कार्रवाही जारी है।